HARYANA VIDHAN SABHA

14th Legislative Assembly

Budget Session 2024

List Of Business

20 February 2024

11:00 AM

1. LAYING OF A COPY OF GOVERNOR'S ADDRESS

(1) The Speaker to report to the House that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly today the 20th February, 2024 at 11.00 A.M. and to lay on the Table a copy of the Governor's Address through NeVA Portal.

2. OBITUARY REFERENCES.

(1) A MINISTER to make reference to the deaths of the late:-

1. Shri Kanwal Singh, Former Minister of Haryana.
2. Martyrs of Haryana.
3. Others.

3. FIRST REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

(1)

(i)	THE SPEAKER	to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.
(ii)	A MEMBER OF THE COMMITTEE	to move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

4. NO CONFIDENCE MOTION AGAINST THE COUNCIL OF MINISTERS.

(1) The Hon'ble Speaker admitted the notice of No-Confidence Motion against the Council of Ministers received on 8th February, 2024 from Shri Bhupinder Singh Hooda, MLA, Dr. Raghuvir Singh Kadian, ML.A, Shri Jagbir Singh Malik, MLA, Smt. Geeta Bhukkal, MLA, Shri Varun Chaudhary, MLA, Shri Amit Sihag, MLA, Shri Mamman Khan, MLA, Shri Surender Panwar, MLA, Shri Balbir Singh, MLA, Shri Indu Raj, MLA, Smt. Shakuntia Khatak, MLA, Shri Subhash Gangoli, MLA, Shri Jaiveer Singh, MLA, Shri Chiranjeev Rao, MLA, Shri Mewa Singh, MLA, Shri Dharam Singh Chhoker, MLA, Shri Bishan Lal, MLA, Shri Shishpal Singh, MLA, Shri Pardeep Chaudhary, MLA, Shri Shamsher Singh Gogi, MLA, Shri Neeraj Sharma, MLA, Smt. Renu Bala, MLA, Shri Rajinder Singh Joon, MLA, Rao Dan Singh, MLA, Shri Bharat Bhushan Batra, MLA and Shri Aftab Ahmed, MLA in the following terms-

"We move a motion expressing want of confidence in the Haryana Ministry headed by Shri Manohar Lal, Chief Minister."

5. PAPERS TO BE LAID/RE-LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE THROUGH NeVA PORTAL.

(1)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.06/GST-2, dated the 01st March, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(2)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.07/GST-2, dated the 01st March, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(3)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.08/GST-2, dated the 01st March, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(4)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.09/GST-2, dated the 01st March, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(5)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.10/GST-2, dated the 24th April, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(6)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.11/GST-2, dated the 24th April, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(7)

A	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.12/GST-2, dated the 24th April, 2023, as

MINISTER	required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(8)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.13/GST-2, dated the 24th April, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(9)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.14/GST-2, dated the 24th April, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(10)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.15/GST-2, dated the 24th April, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(11)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.16/GST-2, dated the 09th May, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(12)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.17/GST-2, dated the 31th May, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(13)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.33/GST-2, dated the 27th July, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(14)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.34/GST-2, dated the 27th July, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(15)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.35/GST-2, dated the 27th July, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(16)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.36/GST-2, dated the 27th July, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(17)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.37/GST-2, dated the 27th July, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(18)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.38/GST-2, dated the 07th August, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(19)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.39/GST-2, dated the 07th August, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(20)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.40/GST-2, dated the 07th August, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(21)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.41/GST-2, dated the 07th August, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(22)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.42/GST-2, dated the 07th August, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(23)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.43/GST-2, dated the 29th August, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(24)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.44/GST-2, dated the 29th August, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(25)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.45/GST-2, dated the 29th August, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(26)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.46/GST-2, dated the 14th September, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(27)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.47/GST-2, dated the 27th September, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(28)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.48/GST-2, dated the 27th September, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(29)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.49/GST-2, dated the 27th September, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(30)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.50/GST-2, dated the 30th September, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(31)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.51/GST-2, dated the 30th September, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(32)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.52/GST-2, dated the 30th September, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(33)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.53/GST-2, dated the 30th September, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(34)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.54/GST-2, dated the 20th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(35)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.55/GST-2, dated the 20th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(36)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.56/GST-2, dated the 20th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(37)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.57/GST-2, dated the 20th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(38)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.58/GST-2, dated the 20th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(39)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.59/GST-2, dated the 20th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(40)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.60/GST-2, dated the 20th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(41)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.61/GST-2, dated the 20th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(42)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.62/GST-2, dated the 20th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(43)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.63/GST-2, dated the 27th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(44)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.64/GST-2, dated the 27th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(45)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.65/GST-2, dated the 27th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(46)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.66/GST-2, dated the 27th October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(47)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.67/GST-2, dated the 31st October, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(48)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.68/GST-2, dated the 15th November, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(49)

A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.69/GST-2, dated the 23rd November, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(50)

A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.70/GST-2, dated the 29th December, 2023, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(51)

A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.01/GST-2, dated the 24th January, 2024, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(52)

A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.02/GST-2, dated the 24th January, 2024, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(53)

A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.03/GST-2, dated the 24th January, 2024, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

(54)

A MINISTER	to lay on the Table the Energy Department Notification /Regulation No. HERC/34/2016/2nd Amendment/2023, dated the 27th September, 2023, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

(55)

A MINISTER	to lay on the Table the Energy Department Notification /Regulation No. HERC/34/2016/3rd Amendment/2023, dated the 27th September, 2023, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

(56)

A MINISTER	to lay on the Table the Energy Department Notification /Regulation No. HERC/29/2014/3rd Amendment/2023, dated the 15th November, 2023, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

(57)

A MINISTER	to lay on the Table Annual report of the Haryana Roadways Engineering Corporation Limited (HREC) for the year 2022-2023, as required under section 395(1)(b) of the Companies Act, 2013.

(58)

A MINISTER	to lay on the Table the 54th Annual Report & Accounts of Haryana Agro Industries Corporation Limited for the year 2020-2021, as required under section 394(2) of the Companies Act, 2013.

(59)

A MINISTER	to lay on the Table the Audit Report and Annual Accounts of the Haryana State Agricultural Marketing Board for the year 2021-22, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Condition of Service Act, 1971.

6. PRESENTATION OF THIRD PRELIMINARY REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES REGARDING PRIVILEGE ISSUE AND EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF THE FINAL REPORT

(1)

THE CHAIRPERSON COMMITTEE OF PRIVILEGES:	to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of Privilege given notice dated 21 February, 2023 of by Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA against Shri Abhay Singh Chautala, MLA.The Matter was referred by the House to the Committee of Privileges on 21 February, 2023. The Committee was required to make a report to the House by the first sitting of the next Session i.e., on 20th February, 2024. The Committee has already requested on many occasions to Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA to appear before the Committee for their oral evidence. However, the Hon'ble Members have not appeared before the Committee till now. The Committee in its meeting held on 07.02.2024 decided to give another opportunity to Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA to appear before the Committee for oral evidence. As the issue is under active consideration of

	the Committee and needs detailed examination and mandatory procedural aspects to be followed, therefore, the Committee recommends that the time for making the final report may be extended upto the first sitting of the next session.
ALSO	to move that the time for presentation of the final Report to the House to extended upto the first sitting of the next Session.

7. MOTION TO BE MOVED BY THE CHAIRPERSON OF THE FACT-FINDING COMMITTEE OF HARYANA VIDHAN SABHA CONSTITUTED TO INVESTIGATE IN THE MATTER OF SEXUAL HARASSMENT BY THE THEN PRINCIPAL (MR. KARTAR SINGH) OF GOVERNMENT GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL, UCHANA MANDI (JIND) FOR THE PERIOD FROM 2005 TO 2023.

(1)

THE CHAIRPERSON OF THE FACT-FINDING COMMITTEE:	The Fact-Finding Committee of Haryana Vidhan Sabha which was actually entrusted to investigate in the matter of sexual harassment by the then Principal (Mr. Kartar Singh) of Government Girls Senior Secondary School, Uchana Mandi (Jind) for the period from 2005 to 2023 of all incidents mentioned/discussed in the House in its sittings dated 15th and 18th December, 2023 and required to submit its report in the first meeting of the current Session of the Haryana Vidhan Sabha Commenced from today, 20th Feburary, 2024.Since the matter is highly sensitive. It, thus, would not appropriate to submit the report on the matter under review without detailed examination. This issue is under active consideration of the Committee. Accordingly, the Committee seeks more time to submit its report to the House. The Committee further recommends that the time for submission of report may be extended upto first sitting of the next Session of Haryana Vidhan Sabha.
ALSO	to move that the time for submmission of the Report to the House be extended upto first sitting of the next session of Haryana Vidhan Sabha.

8. DISCUSSION ON THE GOVERNOR'S ADDRESS

(1)

(i)	Shri Harvinder Kalyan, M.L.A	to move that an Address be presented to the Governor in the following terma :-"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which has been pleased to deliver to the House an the 20th February, 2024 at 11:00A.M"
(ii)	Shri Jogi Ram Sihag, M.L.A	to second the above motion.

Rajender Kumar Nandal
Secretary
HARYANA VIDHAN SABHA

Chandigarh-160001
Date:19/Feb/2024

हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

बजट सत्र 2024

कार्य सूची

20 फ़रवरी 2024

1. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना।

(1) अध्यक्ष महोदय सदन को प्रतिवेदित करेंगे कि राज्यपाल महोदय ने आज 20 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे प्रातः हरियाणा विधान सभा के सम्मुख अभिभाषण देने की कृपा की है तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर रखेंगे।

2. शोक प्रस्ताव।

(1) एक मंत्री स्वर्गीयः-1. श्री कंवल सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री;2. हरियाणा के शहीद;3. अन्यके देहावसान का उल्लेख करेंगे।

3. <u>कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट</u>।

(1)

(i) अध्यक्ष	विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
(ii) समिति के एक सदस्य	प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

4. मंत्रीमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव।

(1) अध्यक्ष महोदय ने, श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा,एम.एल.ए., डॉ0रघुवीर सिंह कादियान, एम.एल.ए., श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए., श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए., श्री वरूण चौधरी, एम.एल.ए., श्री अमित सिहाग, एम.एल.ए., श्री मामन खान, एम.एल.ए., श्री सुरेन्द्र पंवार, एम.एल.ए., श्री बलबीर सिंह, एम.एल.ए., श्री इंदुराज, एम.एल.ए., श्रीमती शकुन्तला खटक, एम.एल.ए., श्री सुभाष गांगोली, एम.एल.ए., श्री जयवीर सिंह, एम.एल.ए., श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए., श्री मेवा सिंह, एम.एल.ए., श्री धर्म सिंह छौक्कर, एम.एल.ए., श्री बिशन लाल, एम.एल.ए., श्री शीशपाल सिंह, एम.एल.ए. श्री प्रदीप चौधरी, एम.एल.ए., श्री शमशेर सिंह गोगी, एम.एल.ए., श्री नीरज

शर्मा, एम.एल.ए., श्रीमती रेणु बाला, एम.एल.ए., श्री राजेन्द्र सिंह जून, एम.एल.ए., राव दान सिंह, एम.एल.ए., श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए., तथा श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए., से 8 फरवरी, 2024 को प्राप्त मंत्रीमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना निम्नलिखित शब्दों में ग्रहण कीः-

"हम, श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रीमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं"।

5. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनःरखे जाने वाले कागज-पत्र।

(1)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी-2, दिनांकित 1 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(2)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 1 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(3)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी-2, दिनांकित 1 मार्च, 2023 पर पुनः रखेंगे।

(4)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस.टी-2, दिनांकित 1 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(5)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(6)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(7)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(8)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(9)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(10)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(11)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस.टी-2, दिनांकित 9 मई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(12)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(13)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/जी.एस.टी-2 दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(14)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(15)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(16)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(17)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(18)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(19)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(20)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(21)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(22)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(23)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(24)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(25)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(26)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 सितम्बर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(27)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(28)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(29)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(30)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(31)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(32)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(33)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(34)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(35)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(36)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(37)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(38)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(39)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(40)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(41)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे

(42)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(43)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(44)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(45)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(46)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 66/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(47)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तुबर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(48)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी-2, दिनांकित 15 नवम्बर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(49)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 नवम्बर, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।

(50)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(51)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 जनवरी, 2024 मेज पर रखेंगे।

(52)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गर्इ अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 जनवरी, 2024 मेज पर रखेंगे।

(53)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 जनवरी, 2024 मेज पर रखेंगे।

(54)

एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./34/2016/द्वितीय संशोधन/2023 दिनांकित 27 सितम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(55)

एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./34/2016/तृतीय संशोधन/2023 दिनांकित 27 सितम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(56)

एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./29/2014/तृतीय संशोधन दिनांकित 15 नवम्बर, 2023 मेज पर रखेंगे।

(57)

एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा रोडवेज अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड (एच.आर.ई.सी) की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(58)

एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020-2021 के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की 54 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(59)

एक मंत्री	नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल की लेखा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे मेज पर रखेंगे ।

6. विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति की तीसरी प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना ।

(1)

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन	यह मामला सदन द्वारा 21 फरवरी, 2023 को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। समिति को अगले सत्र की बैठक यानी 20 फरवरी, 2024 तक सदन को एक रिपोर्ट बना कर देनी थी। समिति पहले ही कई अवसरों पर श्री जोगी राम सिहाग, एम.एल.ए. तथा श्री अनूप धानक, एम.एल.ए. को उनके मौखिक साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए आग्रह कर चुकी है। जबकि माननीय सदस्य समिति के समक्ष अब तक उपस्थित नहीं हुए। समिति ने 07.02.2024 को हुई अपनी बैठक में श्री जोगीराम सिहाग, एम.एल.ए. तथा श्री अनूप धानक, एम.एल.ए. को मौखिक साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने का एक और अवसर दिया। क्योंकि यह मुद्दा समिति के सक्रिय विचाराधीन है और विस्तृत जांच और अनिवार्य प्रक्रियात्मक पहलुओं का पालन करने की आवश्यकता है इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि अंतिम रिपोर्ट बनाने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

7. राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उचाना मंडी (जींद) के तत्कालीन प्रधानाचार्य (श्री करतार सिंह) द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में वर्ष 2005 से 2023 तक की अवधि के लिए जांच हेतू गठित की गई हरियाणा विधान सभा की तथ्यान्वेषी समिति के चेयरपर्सन द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

(1)

तथ्यान्वेषी समिति के चेयरपर्सनः	हरियाणा विधान सभा की तथ्यान्वेषी समिति जो कि वास्तव में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उचाना मंडी (जींद) के तत्कालीन प्रधानाचार्य (श्री करतार सिंह) द्वारा यौन उत्पीड़न के मामलें में वर्ष 2005 से 2023 तक की अवधि के लिए सदन की अपनी बैठकें दिनांकित 15 तथा 18 दिसंबर, 2023 में उल्लेखित/चर्चा की गई सभी घटनाओं की जांच के लिए गठित की गई थी तथा हरियाणा विधान सभा के वर्तमान सत्र की पहली बैठक जो कि आज 20 फरवरी, 2024 को आरम्भ हुई है, में इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। चूँकि मामला अत्याधिक संवेदनशील है, इसलिए विस्तृत जाँच के बिना समीक्षाधीन मामले पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। यह मामला समिति के सक्रिय विचाराधीन है। तदनुसार, समिति अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय चाहती है। समिति आगे सिफारिश करती है कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय हरियाणा विधान सभा के अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढाया जाए।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय हरियाणा विधान सभा के अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढाया जाए।

8. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

(1)

(i)	श्री हरविन्द्र कल्याण, एम.एल.ए.	प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए :-"कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है।"।
(ii)	श्री जोगी राम सिहाग , एम.एल.ए.	उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

राजेन्द्र कुमार नांदल
सचिव
हरियाणा विधान सभा

Chandigarh-160001
दिनांकः१९ फरवरी २०२४